सरकारी भवनों के शिलापट्टों पर नाम लिखने के मुद्दे पर सदन में सत्तापक्ष-विपक्ष में तकरार

अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिए कि ''सिर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम ही शिलापट्टों पर लिखे जाएंगे''

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के गुरुवार के सत्र में सरकारी भवनों के शिलापट्टों पर नाम लिखने के मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। केकड़ी विधायक द्वारा 'नाथी के बाड़े' का जिक्र किए जाने पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। बढ़ते विवाद के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी सरकारी भवन के उद्घाटन या लोकार्पण के शिलालेख पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ही नाम लिखे जाएंगे, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हों।

■ **प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय कई सरकारी भवनों के उद्घाटन शिलालेखों पर जनप्रतिनिधियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी अंकित किए गए।**

प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय कई सरकारी भवनों के उद्घाटन शिलालेखों पर जनप्रतिनिधियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी अंकित किए गए। उन्होंने इसे गलत परंपरा बताते हुए तत्काल बंद करने की मांग की। गौतम ने केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन का उद्घाटन आचार संहिता लागू होने से पहले 30 सितंबर को कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि विभाग की अनुमति के बिना कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट गौतम ने आरोप लगाया कि कई शिलालेखों पर पिता-पुत्र या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी लिखे गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने व्यवस्थाओं को 'नाथी का बाड़ा' बना दिया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या ऐसे शिलालेख हटाए जाएंगे। इस पर मंत्री खींवसर ने कहा कि जहां भी शिलालेखों पर गलत तरीके से नाम लिखे गए हैं, उन्हें हटाने का काम किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। शिलापट्टों को लेकर सदन में बढ़ते विवाद के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कई जगह ऐसे लोगों के नाम भी शिलालेखों पर लिख दिए गए हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम शिलापट्ट पर लिखा गया है जो चुनाव में प्रत्याशी था, लेकिन निर्वाचित नहीं हुआ।

इस पर अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी सरकारी भवन के उद्घाटन या लोकार्पण के शिलालेख पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों-जैसे विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच-के ही नाम लिखे जाएंगे।

पूर्व कांग्रेस पार्षद ने पार्क में युवती से की अभद्रता

■ **पार्क में ताश पत्ती खेलने की बाद को लेकर हुआ विवाद**

जयपुर (कासं)। श्याम नगर थाना इलाके में शराब के नशे में कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने महिला के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। आरोपी के के चुगंल से मुक्त होने के बाद पीड़ित युवती अपने घायल भाई को लेकर थाने पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि थाना इलाके में किराए से रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज कराया है कि 4 अप्रैल को धुलंडी के दिन वो अपने परिजनों और परिचितों के साथ होली खेल रही थी। होली खेलने के बाद शाम करीब 6 बजे वे सभी एक पार्क में बैठे थे। तभी शराब के नशे में धुत पांच-सात लड़के शराब के नशे में पार्क में पहुंचे और खुद को कांग्रेस का पूर्व पार्षद रोहिताश बताते अभद्रता शुरु कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती के मारपीट की । इस दौरान पार्क में भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देख कर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है की 30 वर्षीय युवती अपने परिजनों व परिचितों के साथ पार्क में ताश पत्ती खेल रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व पार्षद रोहिताश अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्क में पहुंचे और सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती खेलने का विरोध करने लगे। युवती से छेड़छाड़ की। जब युवती के भाई ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। बचाव में आई युवती के भी बाल खींचकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनका मोबाइल तोड़ दिया और धमकियां देकर फरार हो गए। घायल भाई के साथ थाने पहुंचकर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर पूर्व पार्षद रोहिताश के खिलाफ मारपीट व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

विधानसभा में बहस के बाद पास हुए दो बिल

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को बहस के बाद दो बिल पारित किए गए। राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 और राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक बहस के बाद पारित किए गए। इन दोनों बिलों के आने से पहले सरकार अध्यादेश के जरिए इनके प्रावधान पहले लागू कर चुकी है। अध्यादेश को छह महीने के भीतर बिल लाकर विधानसभा में पारित करवाना होता है अन्यथा वह रद्द हो जाता है। राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक में 11 तरह के छोटे मोटे अपराधों में सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान किया है। इसका पहले अध्यादेश आ चुका है।

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक में दुकानों, कंपनियों में काम करने के घंटे बढ़ाने का प्रावधान किया है। दुकानों, कंपनियों में हर दिन 9 घंटे की जगह 10 घंटे काम करने की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। दुकानों और कामर्शियल कामों में अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकेगा। बिल में दुकानों, कंपनियों में अप्रेंटिस पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जा सकेगा, पहले यह आयु सीमा 12 साल थी, जिसे बढ़ाकर 14 साल किया है।

स्पीकर ने विधायक डांगा को टोका

प्रश्नकाल के दौरान कागज में पढ़कर पूरक सवाल करने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा को टोक दिया। डांगा ने खींवसर के थानों में कर्मचारी आवास बनाने से जुड़े सवाल पूछे थे। शंखवास थाने के कर्मचारी आवास से जुड़े सवाल पर वे कागज में हूबहू पढ़ रहे थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जवाब के बाद डांगा ने फिर पूरक प्रश्न की अनुमति मांगी। इस पर स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि आप तो कागज पढ़ रहे हो, सवाल कहां पूछ रहे हो? दो लाइन भले देख सकते हैं।

दो बच्चों की बाध्यता हटाने वाला बिल सदन में पेश हुआ

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में दो बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए दो अलग-अलग बिल विधानसभा में रख दिए गए हैं। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतीराज संशोधन बिल और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगरपालिका संशोधन बिल को विधानसभा में रखा है। अब जल्द ही इन पर बहस करवाकर इन्हें पारित करवाया जाएगा, जल्द पारित करवाने की तारीख तय होगी।

पंचायतीराज संशोधन बिल में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव के लिए दो से ज्यादा बच्चों पर चुनाव लडने के अयोग्य होने का प्रावधान हटाया गया है। नगरपालिका संशोधन बिल में पार्षद, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति का चुनाव लडने के लिए दो बच्चों की बाध्यता हटाने का प्रावधान है।

राशन की दुकानों से जुड़े सवाल पर मंत्री सुरेश रावत सदन में घिरे

जयपुर (विसं)। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने खाद्य मंत्री की जगह सवालों का जवाब दे रहे जलसंसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को घेर लिया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी के नीमकाथाना में राशन की दुकानों के आवंटन से जुड़े सवाल पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया 10 सिंगल आवेदन मिले, जिनमें 3 को आवंटित कर दी, 2 निरस्त और 4 में मार्गदर्शन मांगा है।

■ **मंत्री ने जवाब पर कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने पूछा कि आप बताइए मार्गदर्शन किसका चाहिए, गांधीजी का चाहिए क्या? इस दौरान मंत्री रावत सीधा जवाब नहीं दे पाए तो स्पीकर ने उनसे कहा कि ये पूछ रहे हैं मार्गदर्शन किसका चाहिए? इस पर मंत्री ने कहा कि कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा है।**

■ **उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि, मंत्री कह रहे हैं कलेक्टर मार्गदर्शन करेंगे। यह सरकार के लिए शर्म की बात है? इस पर मंत्री रावत ने कहा कि ये बात को घुमा रहे हैं, डीएसओ ने कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा है।**

इस जवाब पर कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि आप 70 फीसदी आबादी को राशन से वंचित रखना चाहते हैं। मार्गदर्शन के लिए 4 दुकानें बता रखी है, जब आवंटन के नियम बने हुए हैं तो मार्गदर्शन किसका चाहिए? इसमें सीधे भ्रष्टाचार की बू आती है। मंत्री सुरेश रावत ने फिर पुराना जवाब दोहराया तो कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि आप लिखित जवाब को ही रिपीट कर रहे हैं, आप तो बताइए मार्गदर्शन किसका चाहिए, गांधीजी का चाहिए क्या? इस दौरान मंत्री सुरेश रावत सीधा जवाब नहीं दे पाए तो स्पीकर ने उनसे कहा कि ये पूछ रहे हैं मार्गदर्शन किसका चाहिए? इस पर मंत्री ने कहा कि कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा है।

उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि बार-बार आपसे पूछ रहे हैं कि आप मार्गदर्शन किससे चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं कलेक्टर मार्गदर्शन करेंगे। मंत्री को कलेक्टर मार्गदर्शन देंगे, यह सरकार के लिए शर्म की बात है? इस पर मंत्री रावत ने कहा कि ये बात को घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे डीएसओ ने कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा है। कलेक्टर से मार्गदर्शन मिलते ही राशन दुकानें अलॉट करने पर फैसला होगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि कलेक्टर को मार्गदर्शन तो आप देते है।

सार-समाचार

डॉ. अनुभा जैन फेलोशिप के लिए चयनित

जयपुर। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अनुभा जैन को मुंबई प्रेस क्लब द्वारा एन. आर. प्रकाश फेलोशिप फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 के लिए चयनित किया है। उनका चयन ''ए.आई एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर: हाउ ड्रोन्स, सेंसर्स एंड मशीन लर्निंग आर बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मस फॉर द-2030'' विषय पर प्रस्तुत प्रपोजल के लिए किया गया है। डॉ. अनुभा के विजेता प्रस्ताव का चयन तीन प्रतिष्ठित सदस्यों वाली जूरी द्वारा किया गया, जिसमें एस. श्रीनिवासन, सह-संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, प्रभाकर नायर, साइंस टुडे के पूर्व लेखक; तथा मृत्युंजय बोस, वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। छह महीने की इस फेलोशिप के तहत डॉ. अनुभा जैन को रुपये 50 हजार की अनुदान राशि दी जा रही है। प्रसिद्ध पत्रकार स्व. धीरेंद्र जैन की पुत्री, डॉ. अनुभा ने भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशनों, जैसे चंद्रयान - 3 और आदित्य एल -1 सोलर मिशनों पर व्यापक रिपोर्टिंग की है और उभरती तकनीकों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वर्षों के दौरान उन्होंने कई उच्च प्रभाव वाली खबरें, विशेष साक्षात्कार और गहन फीचर प्रस्तुत किए हैं।

अवैध बीयर के 20 कार्टून व शराब जब्त

जयपुर। विधायकपुरी पुलिस ने होली में सप्लाई की जाने वाली अवैध शराब व बीयर जब्त की है। पुलिस ने अवैध शराब की सप्लाई के काम में लिए जाने लग्जरी वाहन को जब्त कर शराब तस्करों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपित से अवैध शराब तस्करी से जुडे लोगों के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षिराज ने बताया कि होली पर हुडदंगियों एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया था। इस अभियान के विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम को सूचना मिली कि विधायकपुरी थाना इलाके में स्थित दर्गा विजनेस सेंटर संजय मार्ग पर एक लग्जरी वाहन एक्सयूवी -700 खडी हुई है। जिसकी नंबर डिग्गी में अलग- अलग ब्रांड बीयर के 20 कार्टून रखे है । जिसमें कुल 479 बोतल भरी हुई है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचे कर मोहित तिलवानी (21) निवासी विधाधर नगर को गिरफ्तार कर बीयर के कार्टून व अवैध शराब तस्करी के लिए काम में लिए जाने वाली लग्जरी कार को जब्त कर लिया। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शराब तस्करों के बारे में गहनता से पूछताछ करने में जुटी है।

रिटायर्ड अफसरों को किया जागरूक

जयपुर। राजधानी के इंदिरागांधी पंचायतीराज संस्थान में रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जयपुर जोन का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक लाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूर्व अधिकारियों का पुनर्मिलन रहा साथ ही इसमें वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य की सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल फ्रॉड पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बैंक ऑफ बडौदा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पहल करते हुए उन सेवानिवृत्त अधिकारियों का विशेष सम्मान किया, जिन्होंने अपने जीवन के 75 व 85 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। कार्यकारी निदेशक लाल सिंह ने कहा कि डिजिटल अपराधियों ने ठगी के नए तरीके इजाद कर लिए हैं। उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग के लिए केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग करने, अपना ओटीपी पासवर्ड या पिन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति, यहां तक कि बैंक कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति के साथ भी साझा न करने और सोशल मीडिया या एसएमएस के जरिए आने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर ठगी से बचने का सबसे प्रभावी हथियार है। यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो समय की बर्बादी किए बिना तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। समय पर दी गई सूचना से ठगी गई राशि को फ्रीज करने और संदिग्ध खातों को ब्लॉक करने में मदद मिलती है। सम्मेलन के अंत में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश जैन अंचल, सचिव एचके शर्मा, उपाध्यक्ष एचएन मीणा, कोषाध्यक्ष अभिनंदन जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएस ढाका ने डिजिटल सुरक्षा के इस संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी और उनके परिवार जन उपस्थित रहे।

रजत महल में विराजे खाटू नरेश

जयपुर। फाल्गुन के महीने में रही फागोत्सव की धूम चैत्र माह में भी जारी है। चैत्र कृष्ण द्वितीया गुरुवार को सोडाला के बाल निवास गार्डन में विशाल फागोत्सव और श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। रजत महल में साक्षात श्याम बाबा विराजमान रहे। खाटू श्याम मंदिर की तर्ज पर यहां भी श्याम बाबा के शीश के दर्शन हुए। श्रद्धालुओं को लगा मानो वे खाटू श्याम मंदिर में ही बाबा के दर्शन कर रहे हो। श्याम भजन संध्या के मुख्य अतिथि सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने अखंड ज्योति प्रज्जवलित कर श्री श्याम भजन संध्या का शुभारंभ किया। गोपाल शर्मा ने कहा कि फाल्गुण की मस्ती एक महीने की मोहताज नहीं है। यह बारह महीने छाई रहनी चाहिए। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण, शॉल, साफा, प्रतीक चिह्न भेंट कर गोपाल शर्मा का जन्म दिन पर अभिनंदन किया। गालव आश्रम के अवधेशाचार्य महाराज, युवाचार्य राघवेन्द्र, श्री सरस निकुंज के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया, श्री श्याम मंदिर रामगंज के महंत पं. लोकेश मिश्रा के सान्निध्य में आयोजित भजन संध्या में संतोष व्यास, कुमार गिर्राज, अमित नामा, सत्यनारायण दाधीच, आशीष दाधीच एवं रूकलेश कुमार सहित अनेक भजन गायकों ने खाटू श्याम बाबा के भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दीं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा जैसे भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। संपूर्ण परिसर श्याम नाम के जयकारों से गुंजायमान रहा।

अपर्णा अरोड़ा ने किया संपर्क हैल्पलाइन 181 का निरीक्षण

■ **परिवादियों से फोन पर किया संवाद, त्वरित समाधान के निर्देश दिए**

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन (181) का दौरा कर परिवादियों से फोन पर सीधे संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।

अरोड़ा ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि, लंबे समय से लंबित मामलों तथा संतुष्टि श्रेणियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले एक वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित 2 लाख 59 हजार 977 परिवाद राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त हुए, जिनमें से 2 लाख 53 हजार 106 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। इन शिकायतों का औसत निस्तारण समय लगभग 13 दिन रहा तथा 71 प्रतिशत परिवादियों ने समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के सचिव 4 मार्च से 28 अप्रैल तक निर्धारित तिथियों में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ताओं से संवाद किया।

कोर्ट को बम से उडाने की धमकी

जयपुर (कासं)। पिछले चार महीने के दौरान हाईकोर्ट को 11 बार मिली बम धमाकों से उडाने की धमकियों के बीच गुरुवार को जयपुर मेट्रो-प्रथम व जयपुर जिला कोर्ट को भी बम से उडाने की धमकी मिली। जयपुर मेट्रो-प्रथम प्रशासन को सुबह 11 बजे ईमेल से धमकी मिली कि दो बजे तक कोर्ट परिसर को खाली करा लें और सभी को बाहर निकाल लें क्योंकि बम फटेगा। इस पर जयपुर मेट्रो-प्रथम से जयपुर मेट्रो-द्वितीय को सूचित किया। वहीं पुलिस को बम की धमकी के ईमेल की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली कराया और मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वॉड ने पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली। इस दौरान जयपुर जिला कोर्ट को भी बम से उडाने की धमकी मिली तो वहां पर भी बम निरोधक दस्ते ने तलाश की। लेकिन दोनों जगहों पर सर्च में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

हार के डर से निकाय चुनाव टाल रही सरकार : गिरिराज खंडेलवाल

जयपुर (कासं)। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को टालने की कोशिशों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव व नगर निगम जयपुर में नेता प्रतिपक्ष रहे गिरिराज खंडेलवाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार जनता के बीच जाने से घबरा रही है और हार के डर से चुनाव टालने की साज़िश कर रही है।

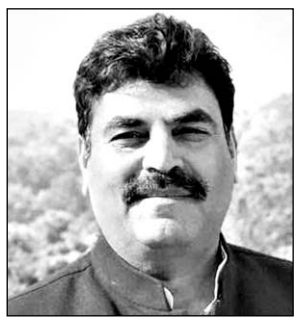

गिरिराज खंडेलवाल

खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव की प्रक्रिया को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिसीमन और अन्य तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक रखा है। उन्होंने कहा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और इसे किसी भी बहाने से छीना नहीं जा सकता। खंडेलवाल ने कहा कि इन चुनावों पर सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। यही कारण है कि सरकार चुनाव से बचने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रही है। लेकिन लोकतंत्र में जनता के फैसले से भागना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार को अपनी नीतियों और कार्यों पर विश्वास है तो उसे तुरंत चुनाव की घोषणा कर जनता के बीच जाना चाहिए। चुनाव टालना यह साबित करता है कि सरकार को खुद अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं रहा। खंडेलवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का प्रदेश की जनता पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने मांग की कि अदालत के निर्देशों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाए जाएं, ताकि जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके।

'ब्यूरोक्रेसी को अगर ज्यादा अधिकार मिलेंगे तो अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे'

जन विश्वास संशोधन विधेयक पर विधानसभा में कांग्रेस ने आपत्ति जताई

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने संशोधन विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पारित होने से नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी। उन्होंने सरकार से इस बिल को जनमत जानने और पुनर्विचार के लिए भेजने की मांग की।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार से जनता का विश्वास सवा 2 साल में ही खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के संशोधन के बाद राज्य में भी इसी आधार पर यह संशोधन लाया जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान वन अधिनियम सहित 11 कानूनों में कोर्ट से सजा के प्रावधान को हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है, जो गलत है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन से ब्यूरोक्रेसी को अधिक अधिकार मिलेंगे और अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे। अधिकारी पहले ही कई मामलों में अपनी मर्जी से काम करते हैं, ऐसे में उन्हें और बेलगाम नहीं करना चाहिए। राजस्थान वन अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी गई है।

■ **डोटासरा ने कहा ''कोर्ट की सजा हटाकर केवल जुर्माना करने से उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा''**

डोटासरा ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई चरवाहा अपनी मवेशियों को लेकर किसी जमीन पर चला जाता है तो उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि इतनी राशि वह पूरे साल में भी नहीं कमा पाता। पहले कोर्ट की सजा का प्रावधान होने से लोगों को न्याय के लिए अदालत जाने का अधिकार था, लेकिन अब केवल जुर्माना होने से यह अधिकार कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माने का प्रावधान छोटे और बड़े सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, जबकि उद्योगपतियों के लिए 25 हजार रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है। ऐसे में वे आसानी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। उन्होंने राजस्थान नौकायन अधिनियम 1956 का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भी जुर्माने की राशि पांच हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है, जो छोटे नाव चलाकर जीवन यापन करने वालों के लिए बहुत अधिक है।

'कोर्ट नहीं होंगे तो बढ़ेगा इंस्पेक्टरराज'

डोटासरा ने कहा कि यदि देश में अदालतें नहीं होंगी तो व्यवस्था निरंकुश हो जाएगी। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनके साथ अन्याय होने पर उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हर जगह से कोर्ट की भूमिका खत्म कर दी जाएगी तो अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे और इंस्पेक्टर राज लागू हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए न्यायालय की स्वायत्तता बनाए रखना जरूरी है।

'उद्योगपतियों को फायदा देने का आरोप'

कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने भी संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे और पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट से मिलने वाली सजा का डर था, लेकिन अब केवल जुर्माने का प्रावधान होने से उद्योगपति बिना डर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गेदर ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में सौर ऊर्जा प्लांट लगने के दौरान बड़े उद्योगपतियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संशोधन के जरिए सरकार उद्योगपतियों को पेड़ काटने का लाइसेंस दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार अपने ही वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। गेदर ने कहा कि यदि यह बिल पारित हो गया तो वन माफिया सक्रिय हो जाएंगे और हरियाली बढ़ाने के प्रयासों पर भी असर पड़ेगा। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से मांग की कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय जनमत जानने और पुनर्विचार के लिए भेजा जाए।

तेज रफ्तार कार ने डेयरी संचालक को मारी जोरदार टक्कर

■ **20 फीट उछलकर दूर जाकर गिरा दुकानदार, कार सवार दो युवक मौके से फरार**

■ **घायल डेयरी बूथ संचालक को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल**

जयपुर (कासं)। बगरु इलाके में गुरुवार अल सुबह तेज रफ्तार ने डेयरी संचालक को जोरदार टक्कर मार दी । इस हादसे में पीड़ित करीब 20 फीट हवा में उछलने के बाद सड़क पर आ गिरा और गंभीर रुप से घायल हो गया। तेज रफ्तार कार भी थोडा आगे जाकर फंस गई।

इस पर कार सवार दोनो युवक जैसे-तैसे बाहर निकले और घायल युवक को सड़क पर पड़ा देख कार को मौके पर ही छोड़कर कर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने क्षितग्रस्त कार जब्त कर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दोनो युवकों की तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि थाना इलाके में स्थित बगरू इंडस्ट्रियल एरिया के संडे मार्केट में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे डेयरी संचालक विकास (21) सावर की बगीची ,बगरु निवासी दुकान खोलकर दूध के कैरेट बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने डेयरी संचालक विकास को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पीडित 20 फीट दूर उझलकर दूर जा गिरा और तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होते हुए आगे बनी सीढ़ियों में फंस गई। जिसके बाद कार सवार दोनो युवक तैसे-तैसे कार से बाहर निकले और गंभीर घायल अवस्था में पड़े युवक को देखकर कार छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार जब्त ,घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनो युवकों की तलाश शुरु कर दी है।